

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली जिला पाली राज.

प्रार्थी:-

भंवरसिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपुत
निवासी कोरटा, तह. सुमेरपुर जिला
पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. अचलसिंह पुत्र रोहनसिंह राजपुत निवासी कोरटा तह. सुमेरपुर जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत कोरटा, जरिये सरपंच कोरटा पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली राज.

किस्म मुकदमा : पंचायत विविध प्रकरण संख्या : 166/2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024/165)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 (2) राज.पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जइस हुकम की तारीख जजरी हुकम
11.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/ कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 15.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली</p>	
15/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को जारी नोटिस पत्रों का प्रत्येक को लौटि ली। पत्रावली में सुनने वाली प्रिजेंट इल्लुमिन होकर दिनांक 31/5/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)</p>	
31/5/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ दिनांक 19/6/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)</p>	
19/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। कोर्ट उपस्थित नहीं। पत्रावली का प्रत्येक को लौटि ली। प्रकरण स्वगत प्रारंभिक वर्ष 2018 के चल रहा है। प्रारंभिक का मूल अतिरिक्त क्रमांक है, यमुना है ऐसी स्थिति में आरोपवाली का अतिरिक्त नहीं है। कोर्ट प्रकरण प्रारंभिक स्वाधीन क्रिया जाना है। पत्रावली के तहत सुनने वाले को पत्र पेश कर के करे।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली, जिला-पाली</p>	